भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1073

09 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुज़ुर्ग सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए उपचार सुविधाएँ

1073 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले रहने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के कई सीजीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस-पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अक्सर 200-300 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है;
- (ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बुजुर्ग लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों का कोई आकलन किया गया है;
- (ग) क्या सरकार उन्हें पास के गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस आधार पर उपचार की स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखती है; और
- (घ) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य देखभाल सेवा को सुगम बनाने के लिए प्राधिकरण, प्रतिपूर्ति और अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (एबीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के ग्रामीण और शहरी घटकों द्वारा सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है।

इसके अतिरिक्त, देश भर में कार्यशील नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल भी सीजीएचएस लाभार्थियों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए मनोचिकित्सा, चिकित्सा, हड्डी रोग, नेत्र रोग, ईएनटी जैसी कई विशेषज्ञताओं में ई-संजीवनी पोर्टल (esanjeevaniopd.in) के माध्यम से टेली-परामर्श का भी प्रावधान है।

सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थित के निरपेक्ष प्रदान किया गया है। जो लाभार्थी पहले से ही किसी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कि सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकता के आधार पर या तो अपने मौजूदा कवरेज को जारी रखने या स्वेच्छा से एबी-पीएमजेएवाई में शामिल होने का एक बार विकल्प दिया जाता है। ऐसे लाभार्थियों को एबी-पीएमजेएवाई का विकल्प चुनते हुए स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद वे एबी-पीएमजेएवाई के पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस उपचार के लिए पात्र हो जाएंगे।

सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों और सीजीएचएस-पैनलबद्ध अस्पतालों की उपलब्धता और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी इसकी जानकारी है। अपनी स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए उनके पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

- (i) वे सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधाकेन्द्रों के स्थान पर निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठा सकते हैं।
- (ii) वे निर्धारित दरों पर सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के बाद, निकटवर्ती सीजीएचएस-द्वारा कवर होने वाले शहर में अपना पंजीकरण कराकर सीजीएचएस सेवा का लाभ (ओपीडी और आईपीडी) भी प्राप्त कर सकते हैं।
- (iii) वे आईपीडी उपचार के लिए सीजीएचएस सुविधाकेन्द्रों की सुविधा का लाभ उठाते हुए ओपीडी उपचार के लिए एफएमए लेने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार लागू सदस्यता का भुगतान करना होगा।

स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ), जो सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध हैं, के लिए सीजीएचएस कार्ड धारक पेंशनभोगियों को कैशलेस सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। यद्यपि, सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल नेटवर्क की सीमा सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए शहरों तक ही सीमित है, तथापि, सरकार मामला-दर-मामला आधार पर जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों को भी पैनलबद्ध करती है।

सीजीएचएस लाभार्थियों को रेलवे, परमाणु ऊर्जा आयोग, नगर पालिकाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों सिहत किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के अस्पताल में परामर्श, जाँच और उपचार की सुविधा प्राप्त करने की अनुमित है। इसके अलावा, किसी चिकित्सीय आपातकाल स्थिति में, गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में भर्ती होने के कारण सीजीएचएस लाभार्थी द्वारा किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति, मौजूदा नियमों के अनुसार, सीजीएचएस दरों पर की जाएगी।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1073 TO BE ANSWERED ON 09TH DECEMBER, 2025

TREATMENT FACILITIES FOR ELDERLY CGHS BENEFICIARIES LIVING IN RURAL AREAS

1073. SHRI DEVENDRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether Government is aware that many CGHS beneficiaries aged above 75 years living alone in remote or rural areas need to travel long distances, often 200–300 kilometres, to access treatment at CGHS-empanelled hospitals;
- (b) if so, whether any assessment has been conducted on the difficulties faced by such elderly beneficiaries;
- (c) whether Government proposes to allow them treatment at nearby non-empanelled hospitals on a cashless basis; and
- (d) if so, the details of mechanisms for authorisation, reimbursement, and other steps to ensure accessible healthcare?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO JADHAV)

(a) to (d): Government is striving towards achieving Universal Health Coverage for all citizens, as per National Health Policy, through its various programs like Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPMJAY), Ayushman Arogya Mandir, Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM), Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), and National Health Mission (NHM) through its Rural and Urban components.

In addition, new All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Government Medical Colleges and District Hospitals functioning across the country also cater to healthcare needs of CGHS beneficiaries. Moreover, there is also provision of tele-consultation through e-sanjeevani portal (esanjeevaniopd.in) in several specialties such as Psychiatry, Medicine, Orthopedics, Opthalmology, ENT; for CGHS beneficiaries.

The Government has also extended the benefits of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) to all senior citizens aged 70 years and above, irrespective of their economic status. Beneficiaries already covered under any Government-funded health insurance

scheme such as CGHS, are provided a one-time option to either continue with their existing coverage or voluntarily transition to AB-PMJAY, depending on their preference. Such beneficiaries are required to submit a self-declaration opting for AB-PMJAY, following which they become eligible for cashless treatment at AB-PMJAY empanelled hospitals.

The information on availability and location of CGHS Wellness Centres and CGHSempanelled hospitals is publicly accessible and are known to a Central Government Pensioners, residing in non-CGHS covered areas. They have the following options, to cater to their healthcare needs:

- (i) They may avail the Fixed Medical Allowance (FMA) in lieu of OPD facilities under CGHS.
- (ii) They may also avail CGHS benefits (OPD & IPD) by registering themselves in a nearby CGHS-covered city after payment of the subscription at the prescribed rates.
- (iii) They may opt to draw FMA for OPD treatment while availing CGHS facilities for IPD treatment, subject to payment of the applicable subscription as per CGHS guidelines.

Provision of cashless facility to the pensioners holding CGHS cards is obligatory on Health Care Organizations (HCOs), that are empaneled by CGHS. Although, the extent of the CGHS empanelled Hospital Network is limited to CGHS-covered cities, however, the Government also empanels Hospitals located in District headquarters on case-to-case basis.

CGHS beneficiaries are also permitted to avail consultation, investigations and treatment at any Central or State Government Hospital, including hospitals of Railways, Atomic Energy Commission, Municipalities, and PSUs. Moreover, in case of a medical emergency, any expenditure incurred by CGHS beneficiary, arising out of admission at a non-empanelled Hospital is considered for reimbursement at CGHS Rates, as per extant rules.
